वादपत्र संख्या 149/2017
अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सरोवरसिंह पुत्र श्री जोध सिंह जाति जट सिख आयु 40 वर्ष निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.....वादी

बनाम

1. जोधसिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति जट सिख आयु 70 वर्ष निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. सुखसार सिंह पत्नी श्री कुलवन्त सिंह पुत्री श्री जोध सिंह जाति जट सिख निवासी सुरेवाला जिला हनुमानगढ जक्शन
3. कमनकौर पत्नी जसवीर कोर पुत्री जोध सिंह जाति जट सिख निवासी हरि इच्छा हनुमानगढ जक्शन (राज.)
4. कुदरत कौर पत्नी राजू सिंह पुत्री जोध सिंह जाति जट सिख निवासी हरि इच्छा, हनुमानगढ जक्शन (राज.
5. रणजीत कौर पत्नी जोध सिंह जाति जट सिख निवासी 10 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री महेन्द्रपाल गुप्ता (वादी)
श्री रमेश सिंह (प्रति.–1 से 5)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–6)

दिनांक 15.02.2018

– निर्णय –

वाद पत्र के अनुसार वादी के दादा की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी सं.1 को वाके चक 10 क्यू ए, का खाता सं. 20/14 का मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1 ता 25 में 6.075 हैक्टर, नहरी मय खाल 0.125 हैक्टयर रकबा विरासतन प्राप्त हुआ तथा जिसकी आय से प्रतिवादी सं.1 के द्वारा मुरब्बा नम्बर 29 के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 रकबा अपने नाम व अपनी पत्नी के नाम से खरीद किया जो कि संयुक्त कुटुम्ब की आय से खरीद होने के कारण उक्त रकबा भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में आता है। इस प्रकार दोनों खातों की कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी का हक व हिस्सा है।

प्रतिवादी सं. 2 ता 4 वादी की बहने है। वादी की बहनों की शादी में काफी धन खर्च कर अच्छे घरों में उनकी शादी कर दी है। इसलिए प्रतिवादी सं. 2 ता 4 द्वारा अपने हिस्सों का मौखिक तौर पर परित्याग कर दिया गया था। प्रतिवादी सं. 2 ता 4 द्वारा उक्त कृषि भूमि में अपने अपने हिस्सों का परित्याग करने के कारण वादी का उक्त पैतृक कृषि भूमि में 1/2 हिस्सा बनता था। इसी कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा उक्त कृषि भूमि का बंटवारा में मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1 ता 20 रकबा कुल रकबा 5.060 हेक्टयर प्राप्त हुआ है। जिस पर मौका पर मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1 ता 20 पर वादी काबिज काश्त है। इस प्रकार वादी उपरोक्त वर्णित रकबा की खातेदारी घोषणा करवा कर खाता तक्सीम करवाने का अधिकारी है।

वादी बंटवारा के रोज से ही विवादित आराजी पर मौका पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादी, प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार से मदाखलत, बेजा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

करने से बाज व ममनु रहे एवं उपरोक्त वर्णित रकबा को किसी अन्य को रहन बैय या मुन्तिकिल ना करे।

वादी ने प्रतिवादीगण को बार बार कहा कि उक्त बंटवारानामा अनुसार उक्त रकबा का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में करवा दो, पहले तो वह टालमटोल करता रहा, बाद में दिनांक 25.07.2017 को स्पष्ट इन्कार हो गया, यही वाद कारण है।

प्रतिवादी सं.5 सहखातेदार होने के कारण उसे पक्षकार बनाया गया है और प्रतिवादी सं.6 भू–धारक होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया गया है।

वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया है :–

(क) वाके चक 10 क्यू ए, के मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1 ता 20 प्रतिवादी सं.2 ता 4 द्वारा मौखिक रूप से हक परित्याग कर देने से एवं मौखिक बंटवारनामा के अनुसार प्राप्त हुई है, का वादी के खातेदार घोषित किया जाकर खाता तक्सीम किया जावे।

(ख) यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी पर वादी का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वो वादी के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी न करे व रकबा को रहन बैय न करे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए समन तलब किया गया। दिनांक 06.11.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें कथन किया गया कि वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र दिनांक 06.02.2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वाद पत्र में राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस प्रकार राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

।। आदेश ।।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद वादी निम्नानुसार डिक्री किया जाता है :–

(क) वाके चक 10 क्यू ए, के मुरब्बा नं. 28 के किला नं. 1 ता 20 प्रतिवादी सं.2 ता 4 द्वारा मौखिक रूप से हक परित्याग कर देने से एवं मौखिक बंटवारनामा के अनुसार प्राप्त हुई है, का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है।

(ख) यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी पर वादी का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। इसलिए प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है की वो वादी के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी न करे व रकबा को रहन बैय न करे।

वादव्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय पक्षकारान की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 15.02.2018 को जारी किया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)